FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत राजस्व कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

मोहनसिंह आदि बनाम [illegible]

एक्ट 242 मुकदमा नं. 11 सन् 2022 जीसीएमएस नम्बर 2022/30

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
1/2/22	प्रार्थी / प्रार्थीगण की ओर से वाद पत्र वकील श्री [illegible] द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी / अप्रार्थीगण पेश किया गया। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण मोहनसिंह आदि का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी / अप्रार्थीगण [illegible] अन्तर्गत धारा 242 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 / राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी / अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 08/02/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर (पाली)	
08/02/22	बवुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है / भ्रमण पर है / अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तला होकर पत्रावली दिनांक 10/03/22 को पेश हो। 10.03.22 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर	
10.03.22	बवुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है / भ्रमण पर है / अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तला होकर पत्रावली दिनांक 23/3/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर	
23/3/22	पत्रावली पेश हुई। बवुलात उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी को मुल वाद में राजीनामा हो गया है उक्त प्रार्थना पत्र को जरिये राजीनामा withdraw करना चाहते है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जरिये विद्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल आर्ट होकर नम्बर से कम हो। S. D. O.	[illegible] मोहनसिंह आदि T.P. [illegible] नारायणसिंह T.P.

Scanned with CamScanner